हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 13 नवम्बर, 2009

संख्या लैज० 27/2009.—दि प्रीकॅन्से'प्शॅन ऐन्ड प्रीनेटॅल डाइ-ॲग् नॉस्टिक टे'क्नीकस (प्रोइबिशॅन ऑव् से'क्स सिले'क्शॅन) हरियाणा वैलइडेशॅन ऐक्ट, 2009, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 31 अक्तूबर, 2009, की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4-क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :—

2009 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)
हरियाणा विधिमान्यकरण विधेयक, 2009

गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्ण निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध)
अधिनियम, 1994, हरियाणा राज्यार्थ, के उपबंधों के अधीन
सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए की गई समुचित
प्राधिकारियों की कतिपय नियुक्तियों तथा
उन द्वारा की गई कार्रवाईयों को
विधिमान्य करने के लिए
अधिनियम

भारत गणराज्य के साठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:—

संक्षिप्त नाम।

1. यह अधिनियम गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) हरियाणा विधिमान्यकरण अधिनियम, 2009, कहा जा सकता है।

विधिमान्यकरण।

2. गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994, की धारा 17 की उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात, किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के प्रतिकूल होते हुए भी, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए, प्रसवपूर्व

निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994, की धारा 17 की उपधारा (2) के उपबन्धों द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा सरकार, स्वास्थ्य विभाग, अधिसूचना संख्या 1/18/88-2 एच०बी० II-97, दिनांक 24 अक्तूबर, 1997 द्वारा की गई समुचित प्राधिकारियों के सम्बन्ध में नियुक्तियाँ, जिन्हें उक्त धारा की अपेक्षाओं के अनुसार राजपत्र में प्रकाशित नहीं करवाया जा सका, उक्त अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार की गई विधिमान्य समझी जाएंगी और तद्नुसार,—

(i) सम्पूर्ण हरियाणा राज्य के लिए किए गए सभी कार्य, की गई कार्यवाहियां या की गई बातें या की गई कार्रवाईयां या जो उक्त समुचित प्राधिकारियों द्वारा तथा राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के किसी अधिकारी द्वारा, या समुचित प्राधिकारियों के संबंध में किसी प्राधिकरण द्वारा किए जा सकते हैं या की जा सकती हैं, सभी प्रयोजनों के लिए, विधि के अनुसार किए गए और की गई तथा सदैव किए गए और की गई समझी जाएंगी और किसी न्यायालय के समक्ष प्रश्नगत नहीं किए जाएंगे / नहीं की जाएंगी ;

(ii) इस प्रकार की गई नियुक्तियों के रद्दकरण के लिए किसी न्यायालय में या किसी प्राधिकरण के समक्ष कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां चलाई नहीं जाएंगी या जारी नहीं रखी जाएंगी ; और

(iii) कोई भी न्यायालय या प्राधिकरण इस प्रकार की गई नियुक्तियों के रद्दकरण के लिए किसी डिक्री या आदेश को लागू करने के लिए निदेश नहीं करेगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

3. (1) गर्भधारणपूर्व तथा प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) हरियाणा विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2009 (2009 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 6), इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित, मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम द्वारा, यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी।

पी०एल० आहुजा,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।